11-4-18	अभिभाषक अधिवक्ता उत्तर प्रतिवादी नं. 13 [illegible] का तलब [illegible] तामील [illegible] है [illegible] प्रार्थी पत्रिका के साथ [illegible] प्रति प्रस्तुत [illegible] पेशी 1-6-18 को पेश हो	
	राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट [illegible]	
1-6-2018	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी रामप्रसाद उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षी क्रमांक 13 का नाम हटाने का प्रस्ताव किया। स्वीकार किया जाता है। विपक्षी क्रमांक 15 की तामील होकर नोटिस लेकर भी गैरहाजिर है एकतरफा कार्यवाही की जाती है।	रामप्रसाद
	प्रकरण एकपक्षीय होने से मेरिट पर केस को निस्तारण करने हेतु अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ग्राम [illegible] विवादित [illegible] नाम दर्ज [illegible] खसरा नम्बरान 48 49 50 रकबा 5 बीघा [illegible] 1/4 1/4 हिस्से के [illegible] प्रार्थी के कब्जे काश्त के [illegible] नहीं है [illegible] पंजीकृत नहीं [illegible] मूलवाद [illegible] प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के [illegible] मृतक [illegible] के पिता [illegible] का नाम दर्ज होने से छूट गया। [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हेतु [illegible] 57-88788 ROR [illegible] प्रस्तुत [illegible] मृतक के वारिस है [illegible] मूलवाद में प्रस्तुत [illegible] 57-188 R.R के तहत भी [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी बिजोलिया

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद में पाया कि इस स्तर पर जब भूमि दर्ज श्री प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है तो विपक्षीगण व उनके कब्जे के विरुद्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम दर्ज है यदि title वादग्रस्त कथन विपक्षीगण का है तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति भी नहीं हो सकती है प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण काबिज भी है या नहीं किसी प्रकार का दस्तावेज प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये है इस स्तर पर इन विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझता हूँ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 [illegible] मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर अस्वीकार किया जाता है पत्रावली नियत तिथि को पेश हो जवाब प्रस्तुत करे फैसला हो आदेश सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा) कैम्प - [illegible]	